अध्याय-III

योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

अध्याय-III

योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

यह अध्याय, वितरण कम्पनियों द्वारा डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों पर चर्चा करता है। लेखापरीक्षा जाँच में स्वीकृत और क्रियान्वित मात्राओं के बीच अत्यधिक भिन्नताएं पाई गई, जिसमें दोनों योजनाओं के कुछ घटकों में 244.79 प्रतिशत तक अति-उपलब्धि पाई गई, जबकि अन्य में 84.14 प्रतिशत तक की अल्प-उपलब्धि पाई गई। प्रमुख कमियों में सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग पर ₹ 402.44 करोड़ का परिहार्य व्यय, जो कि कार्यक्षेत्र के अनुसार आवश्यक नहीं था, तथा 2,919 मजरो में बिना कोई सेवा संयोजन निर्गत किए ₹ 140.34 करोड़ मूल्य के अवसंरचना का निर्माण करना सम्मिलित था। कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण का उद्देश्य बड़े पैमाने पर अप्राप्त था, क्योंकि मात्र 28.78 प्रतिशत कृषि उपभोक्ता ही कृषि फीडरों से जुड़े हुए थे। दोहरे दावे और संविदाकारों को अधिक भुगतान के कई दृष्टांत सामने आए, साथ ही अनिवार्य स्मार्ट मीटरों के स्थान पर स्थैतिक ऊर्जा मीटरों की स्थापना के माध्यम से योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन भी किया गया।

योजनाओं के अन्तर्गत कार्यक्षेत्र

3.1 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाइ) के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: (i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग सुनिश्चित करने हेतु कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण; और (ii) वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों और उपभोक्ता छोर पर मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन।

अग्रेतर, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: (i) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत संयोजन प्रदान करना; (ii) सुदूर और दुर्गम गाँवों या मजरो में, जहाँ ग्रिड विस्तार व्यावहारिक या लागत प्रभावी नहीं है, में गैर-विद्युतीकृत परिवारों के लिए सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) आधारित एकल प्रणाली स्थापित करना; और (iii) शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से गरीब गैर-विद्युतीकृत सभी शेष परिवारों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी एवं विद्युत संयोजन प्रदान करना।

योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वयन की स्थिति

3.1.1 वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मात्राओं के सापेक्ष क्रियान्वित वास्तविक मात्राओं का विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन

विवरण	स्वीकृत मात्रा	क्रियान्वित मात्रा	अधिकता/ कमी (-)	उपलब्धि (प्रतिशत में)
फीडर पृथक्करण				
फीडर पृथक्करण (संख्या)	1,803	1,885	82	104.55
वितरण ट्रांसफार्मर (25 केवीए, 63 केवीए और 100 केवीए) (संख्या)	47,887	24,117	-23,770	50.36
11 केवी लाइनें [सर्किट किलोमीटर, (सीकेएम)]	31,484.09	36,315.97	4,831.88	115.35
एलटी लाइनें (सीकेएम)	764	1,773.02	1,009.02	232.07
प्रणाली सुदृढ़ीकरण				
नये 33/11 केवी उपकेन्द्र (1x5 एमवीए और 2x5 एमवीए) (संख्या)	237	269	32	113.50
विद्‌युत उपकेन्द्रों का संवर्धन (संख्या)	609	874	265	143.51
वितरण ट्रांसफार्मर (25 केवीए, 63 केवीए और 100 केवीए) (संख्या)	22,340	17,761	-4,579	79.50
11 केवी लाइनें (सीकेएम)	12,505.15	7,567.97	-4,937.18	60.52
एलटी लाइनें (सीकेएम)	6,383	9,027.03	2,644.03	141.42
33 केवी लाइनें (सीकेएम)	6,291.87	4,307.33	-1,984.54	68.46
सेवा संयोजन (बीपीएल परिवार)	57,039	75,216	18,177	131.87
मीटरिंग				
फीडर मीटरिंग (संख्या)	3,228	1,844	-1,384	57.13
डीटी मीटरिंग (संख्या)	45,742	84,302	38,560	184.30
उपभोक्ता मीटरिंग (संख्या)	8,55,840	20,95,042	12,39,202	244.79

स्रोत: योजनाओं के समापन प्रतिवेदन एवं वितरण कम्पनियों द्‌वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख

तालिका 3.1 से यह देखा जा सकता है कि डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित विभिन्न घटकों में स्वीकृत मात्रा की तुलना में क्रियान्वित मात्रा में अत्यधिक भिन्नताएं थीं, जो कार्यान्वयन में अति-उपलब्धि और अल्प-उपलब्धि दोनों को दर्शाती हैं। एलटी लाइनों (फीडर पृथक्करण के अन्तर्गत 232.07 प्रतिशत और प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत 141.42 प्रतिशत), विद्‌युत उपकेन्द्रों का संवर्धन (143.51 प्रतिशत), बीपीएल परिवारों को सेवा संयोजन (131.87 प्रतिशत), डीटी मीटरिंग (184.30 प्रतिशत) और उपभोक्ता मीटरिंग (244.79 प्रतिशत) जैसे घटकों में अधिक मात्रा पाई गई। इसके अतिरिक्त, वितरण ट्रांसफार्मरों (फीडर पृथक्करण के अन्तर्गत 50.36 प्रतिशत और प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत 79.50 प्रतिशत), 11 केवी लाइनों (प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत 60.52 प्रतिशत), 33 केवी लाइनों (68.46 प्रतिशत) तथा फीडर मीटरिंग (57.13 प्रतिशत) में कमी पाई गई।

स्वीकृत मात्रा की तुलना में क्रियान्वित मात्रा में भिन्नता के मुख्य कारण अन्य योजनाओं से मजरों और कार्यों को सम्मिलित करना, स्थल सर्वेक्षणों

और वास्तविक स्थलीय दशाओं से उत्पन्न भिन्नताएं तथा अतिरिक्त कार्यों को सम्मिलित करना था।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि भिन्नताएं भौगोलिक परिस्थितियों, स्थल-विशिष्ट आवश्यकताओं और अतिरिक्त अवसंरचना के निर्माण के कारण हुईं थीं। इसके अतिरिक्त, डीपीआर अनुमोदन और क्रियान्वयन के बीच समय अंतराल के कारण अनुमोदित कार्यक्षेत्र को कुल स्वीकृत लागत के अन्दर संशोधित किया गया था।

लेखापरीक्षा का मानना है कि अत्यधिक भिन्नताएं, अधिकता और कमी दोनों, नियोजन और अनुमोदन प्रक्रियाओं में कमियों को दर्शाती हैं। ये विसंगतियाँ, बेहतर परियोजना नियोजन की आवश्यकता को रेखांकित करतीं हैं, जिसमें और कड़े सर्वेक्षण तथा मात्राओं का और सटीक अनुमान लगाना सम्मिलित है।

अग्रेतर, 2017-18 से 2020-21 के दौरान कार्यान्वित सौभाग्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मात्राओं के सापेक्ष क्रियान्वित वास्तविक मात्राओं का विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2: सौभाग्य योजना के अन्तर्गत उपलब्धियाँ

विवरण	स्वीकृत मात्रा	क्रियान्वित मात्रा	कमी (-)	कमी (प्रतिशत में)
संयोजन				
ऑन-ग्रिड संयोजन (संख्या)	1,22,00,000[1]	61,64,963	- 60,35,037	49.47
ऑफ-ग्रिड संयोजन (संख्या)	1,00,000	53,234	- 46,766	46.77
अतिरिक्त एचटी अवसंरचना				
33/11 केवी उपकेन्द्र (संख्या)	1,381	219	- 1,162	84.14
डीटी उपकेन्द्र (संख्या)	1,95,735	1,06,455	- 89,280	54.39
11 केवी लाइन (सीकेएम)	88,657.85	20,619.46	- 68,038.39	76.74
गाँवों और मजरों का विद्युतीकरण				
गैर-विद्युतीकृत गाँव (संख्या)	1,874	1,356	- 518	27.63
गैर-विद्युतीकृत मजरे (संख्या)	18,841	7,016	- 11,825	62.76

स्रोत: वितरण कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

तालिका 3.2 से देखा जा सकता है कि सौभाग्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन में अत्यधिक अल्प-उपलब्धियाँ थीं। लक्षित परिवारों में से मात्र 50.53 प्रतिशत को ही ऑन-ग्रिड संयोजन उपलब्ध कराए गए, जिससे 49.47 प्रतिशत की कमी रह गई। इसी प्रकार, ऑफ-ग्रिड संयोजनों में 46.77 प्रतिशत की कमी पाई गई। अतिरिक्त हाई-टेंशन (एचटी) अवसंरचना के प्रावधान में अत्यधिक कमी थी, जिसमें 33/11 केवी उपकेन्द्रों, वितरण ट्रांसफार्मरों और 11 केवी लाइनों में 54.39 प्रतिशत से लेकर 84.14 प्रतिशत

[1] उ.प्र. सरकार ने 1.70 करोड़ गैर-विद्युतीकृत परिवारों के विद्युतीकरण के लिए आरईसी को माँगपत्र निर्गत किया (10 नवम्बर 2017) परन्तु आरईसी ने मात्र 1.22 करोड़ संयोजन ही स्वीकृत किए।

तक की कमी रही। इसके अतिरिक्त, योजना के समापन तक 518 गाँवों (27.63 प्रतिशत) और 11,825 मजरों (62.76 प्रतिशत) का विद्युतीकरण पूर्ण नहीं हो सका था। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि योजना के उद्देश्यों का एक महत्वपूर्ण अंश अपूर्ण रह गया था।

डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

3.2 डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

अनावश्यक मदों के क्रियान्वयन के कारण परिहार्य व्यय

3.2.1 डीडीयूजीजेवाई योजना के लिए निविदा दस्तावेज की धारा VII (कार्यक्षेत्र) निर्दिष्ट करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) पोल पिट को 200 मिलीमीटर के औसत आकार के बोल्डर एवं खोदी गई मिट्टी के मिश्रण से भरा जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का प्रयोग एच-बीम और ट्यूबलर पोल के समान केवल डबल पोल, ट्रिपल पोल, कट प्वाइंट पोल, डीटी उपकेन्द्र पोल और जलभराव वाले क्षेत्रों में लगाए गए पोल पर ही किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यक्षेत्र के प्रावधानों के विपरीत, वितरण कम्पनियों ने सभी पीसीसी पोल के लिए सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग के कार्य को बीओक्यू में सम्मिलित किया। इसके कारण 12,75,377 एकल पीसीसी पोल[2] के लिए बोल्डर से पुनः भरने के स्थान पर सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का कार्य किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 125.35 करोड़[3] का परिहार्य व्यय हुआ। वितरण कम्पनियों ने आरईसी से इस व्यय का दावा किया और ₹ 75.21 करोड़ (₹ 125.35 करोड़ का 60 प्रतिशत) का अधिक अनुदान प्राप्त किया।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि आरईसी द्वारा साझा किया गया मानक निविदा दस्तावेज परियोजना क्रियान्वयन के लिए एक मानक प्रारूप है और राज्यों को अपनी प्रथाओं के अनुसार परिवर्तन करने की अनुमति है। ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन (रेस्पो), यूपीपीसीएल अनुसूचियों में भी कंक्रीटिंग सपोर्ट के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। वितरण कम्पनियों ने डीपीआर में पोलों की कंक्रीटिंग को निर्दिष्ट किया था जिसे नोडल एजेंसी ने स्वीकृत किया था। अनुमोदित डीपीआर के आधार पर बीओक्यू तैयार किया गया था।

---

[2] एमवीवीएनएल: 1,96,695, पीयूवीवीएनएल: 2,28,530, पीवीवीएनएल: 4,45,228 और डीवीवीएनएल: 4,04,924।

[3] एमवीवीएनएल: ₹ 16.45 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 26.08 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 50.75 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 32.07 करोड़, पीसीसी पोल के गड्ढे भरने के सामान्य कार्य की लागत ₹ 170 प्रति पोल की दर से घटाने के पश्चात्।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निविदा दस्तावेज में कार्यक्षेत्र में स्पष्ट रूप से नियत था कि सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का प्रयोग एकल पीसीसी पोल पर नहीं किया जाना था। फलस्वरूप, बीओक्यू में एकल पीसीसी पोल के लिए सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का प्रावधान, कार्यक्षेत्र के साथ असंगत था। इसके अतिरिक्त, एमवीवीएनएल ने अपनी आंतरिक टिप्पणियों में माना था कि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार एकल पीसीसी पोलों को 200 मिलीमीटर बोल्डर से भरा जा सकता था और सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी। अग्रेतर, डीपीआर में पोलों की कंक्रीटिंग निर्दिष्ट होने से सम्बन्धित उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीपीआर में सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग के कार्य को निर्दिष्ट नहीं किया गया था और इसमें मात्र विद्युत लाइनों के लिए समग्र दरें सम्मिलित थीं।

डीपीआर तैयार करने में लगी फर्मों को अधिक भुगतान

3.2.2 डीडीयूजीजेवाई योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, यूटिलिटीज़ को विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षणों और विभिन्न कार्य मदों के लिए दरों की नवीनतम अनुमोदित अनुसूची के आधार पर जिला/सर्किल/जोन-वार विश्वसनीय डीपीआर तैयार करना आवश्यक था।

डीवीवीएनएल और एमवीवीएनएल ने एजेंसियों/फर्मों को डीपीआर (सर्वेक्षण सहित) तैयार करने का कार्य प्रदान किया (जनवरी 2015)। डीवीवीएनएल के लिए डीपीआर तैयार करने की फीस डीपीआर मूल्य के 0.18 प्रतिशत से लेकर 0.5 प्रतिशत तक तथा एमवीवीएनएल के लिए डीपीआर मूल्य का 0.5 प्रतिशत अथवा ₹ 17.5 करोड़ की स्थिर फीस, जो भी कम हो, थी। कार्य प्रदान करने की शर्तों के अनुसार, इन प्रभारों के निर्धारण के लिए डीपीआर मूल्य, कुल कार्य की अनुमोदित लागत (आपूर्ति और स्थापना) पर बिना किसी लोडिंग के आधारित होना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एमवीवीएनएल ने डीपीआर लागत में पहले से सम्मिलित स्थापना प्रभारों (31 प्रतिशत) और उपकरण एवं संयंत्र प्रभारों (1.5 प्रतिशत) को हटाये बिना अनुमोदित डीपीआर लागत का 0.5 प्रतिशत डीपीआर तैयार करने के प्रभारों के रूप में भुगतान किया।
- डीवीवीएनएल ने अंतिम अनुमोदित डीपीआर लागत के स्थान पर प्रारंभिक अनुमोदित डीपीआर लागत के 0.18 प्रतिशत से लेकर 0.5 प्रतिशत तक की दर से डीपीआर तैयार करने के प्रभार का भुगतान किया तथा इसमें स्थापना प्रभार (31.5 प्रतिशत) और उपकरण एवं संयंत्र प्रभार (1.5 प्रतिशत) को भी नहीं हटाया।

इसके परिणामस्वरूप एमवीवीएनएल और डीवीवीएनएल द्वारा डीपीआर तैयार करने में लगी एजेंसियों/फर्मों को ₹ 3.33 करोड़[4] का अधिक भुगतान किया गया।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, प्रबंधन ने इस प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि तथ्यों के सत्यापन के पश्चात् वसूली आदेश निर्गत किए जाएंगे। सरकार ने प्रबंधन के उत्तर को स्वीकार किया।

कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण का उद्देश्य पूर्ण न होना

3.2.3 डीडीयूजीजेवाई योजना का एक उद्देश्य कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग की जा सके।

अनुश्रवण समिति ने 16 नमूना जिलों में से 11[5] में फीडर पृथक्करण कार्यों को अनुमोदन प्रदान किया था (दिसम्बर 2015)। इन 11 जिलों में फीडर पृथक्करण का कार्य ₹ 887.36 करोड़[6] की लागत से पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2022 तक तीन वितरण कम्पनियों[7] के सात नमूना जिलों में कृषि फीडरों से जुड़े उपभोक्ताओं की स्थिति का विश्लेषण किया और पाया कि:

- 1,28,893 कृषि उपभोक्ताओं में से कुल 37,096 (28.78 प्रतिशत) कृषि फीडरों से जुड़े थे तथा शेष 71.22 प्रतिशत कृषि उपभोक्ताओं को अभी भी कृषि फीडरों पर स्थानांतरित किया जाना शेष था।
- 38,142 गैर-कृषि उपभोक्ता कृषि फीडरों से जुड़े थे।

इस प्रकार, कृषि और गैर-कृषि फीडरों को पृथक करने के अभीष्ट लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, प्रबंधन ने इस प्रेक्षण को तथ्यात्मक बताते हुए स्वीकार किया और कहा कि फीडर पृथक्करण का कार्य अभी भी प्रक्रियाधीन है। सरकार ने प्रबंधन के उत्तर को स्वीकार किया।

उपभोक्ताओं के परिसरों में मीटरों के संस्थापन हेतु दोहरा भुगतान

3.2.4 डीडीयूजीजेवाई योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्ताओं के परिसरों में मीटरिंग की जानी थी।

---

[4] एमवीवीएनएल: ₹ 1.72 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 1.61 करोड़।

[5] एमवीवीएनएल के अन्तर्गत बलरामपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, अयोध्या और हरदोई जिलों में फीडर पृथक्करण का कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया था।

[6] एमवीवीएनएल - ₹ 45.04 करोड़; पीयूवीवीएनएल - ₹ 381.59 करोड़; पीवीवीएनएल - ₹ 171.86 करोड़; और डीवीवीएनएल - ₹ 288.87 करोड़।

[7] फीडर कोड संख्याओं में परिवर्तन के कारण लेखापरीक्षा डीवीवीएनएल के चार नमूना जिलों में कृषि फीडरों से जुड़े उपभोक्ताओं की स्थिति का विश्लेषण नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2015 तक 67.65 लाख मीटर-रहित संयोजनों के विरुद्ध वितरण कम्पनियों ने योजना अवधि (मार्च 2022) के अंत तक 20.95 लाख मीटर[8] संस्थापित किए।

वितरण कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई मीटर-रहित से मीटर-युक्त उपभोक्ताओं की सूची के विश्लेषण से पता चला कि पीयूवीवीएनएल और पीवीवीएनएल के नमूना जिलों[9] में समान खाता संख्या वाले 3,449 संयोजनों[10] को दो बार मीटर-युक्त दर्ज किया गया था। वितरण कम्पनियों ने दावे किए गए संयोजनों की प्रामाणिकता का सत्यापन किए बिना, इन सूचियों के आधार पर टीकेसीज़ को भुगतान कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप दोनों वितरण कम्पनियों द्वारा टीकेसीज़ को ₹ 36.17 लाख[11] का दोहरा भुगतान किया गया।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, प्रबंधन ने इस प्रेक्षण को स्वीकार किया और सरकार ने भी इसे माना। फरवरी 2024 में, प्रबंधन ने पीयूवीवीएनएल और पीवीवीएनएल के नमूना जिलों में क्रमशः 3,000 और 146 दोहरे संयोजनों की पहचान करने की सूचना दी। पीयूवीवीएनएल ने टीकेसीज़ के बिलों से वसूली की धनराशि रोक ली, जबकि पीवीवीएनएल ने ₹ 3.62 लाख वसूल कर लिए।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

3.3 सौभाग्य योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

कार्यक्षेत्र के अनुसार आवश्यक न होने वाली मदों का क्रियान्वयन

3.3.1 जैसा कि **प्रस्तर 3.2.1** में चर्चा की गई है, तीन वितरण कम्पनियों (एमवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल और पीवीवीएनएल) ने कार्यक्षेत्र का उल्लंघन करते हुए, बीओक्यू में, सभी पीसीसी पोल (एकल और अन्य प्रकार सहित) में सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का प्रावधान सम्मिलित किया था। इस बीओक्यू के आधार पर कार्य प्रदान किया गया और 11,66,371 एकल पीसीसी पोलों[12] में सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का कार्य किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 277.09 करोड़[13] का परिहार्य व्यय हुआ।

---

[8] एमवीवीएनएल: 81,945, पीयूवीवीएनएल: 14,66,152, पीवीवीएनएल: 3,86,128 और डीवीवीएनएल: 1,60,817।

[9] कौशाम्बी, गाज़ीपुर, आज़मगढ़, बुलन्दशहर और मुज़फ्फरनगर।

[10] पीयूवीवीएनएल: 3,281 और पीवीवीएनएल: 168।

[11] पीयूवीवीएनएल: ₹ 32.81 लाख और पीवीवीएनएल: ₹ 3.36 लाख।

[12] एमवीवीएनएल: 5,294 पोल; पीयूवीवीएनएल: 10,27,805 पोल; और पीवीवीएनएल: 1,33,272 पोल।

[13] एमवीवीएनएल: ₹ 0.72 करोड़; पीयूवीवीएनएल: ₹ 240.52 करोड़; और पीवीवीएनएल: ₹ 35.85 करोड़, पीसीसी पोल के गड्ढे भरने के सामान्य कार्य की लागत ₹ 170 प्रति पोल की दर से घटाने के पश्चात्।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि आरईसी द्वारा साझा किया गया मानक निविदा दस्तावेज परियोजना क्रियान्वयन के लिए एक मानक प्रारूप है और राज्यों को अपनी प्रथाओं के अनुसार परिवर्तन करने की अनुमति है। ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन (रेस्पो), यूपीपीसीएल अनुसूचियों में भी कंक्रीटिंग सपोर्ट के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। वितरण कम्पनियों ने डीपीआर में पोलों की कंक्रीटिंग का उल्लेख किया था जिसे नोडल एजेंसी ने स्वीकृत किया था। अनुमोदित डीपीआर के आधार पर बीओक्यू तैयार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निविदा दस्तावेज में कार्यक्षेत्र में स्पष्ट रूप से नियत था कि सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का प्रयोग एकल पीसीसी पोल पर नहीं किया जाना था। फलस्वरूप, बीओक्यू में एकल पीसीसी पोल के लिए सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का प्रावधान, कार्यक्षेत्र के साथ असंगत था। इसके अतिरिक्त, एमवीवीएनएल ने अपनी आंतरिक टिप्पणियों में माना था कि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार एकल पीसीसी पोलों को 200 मिलीमीटर बोल्डर से भरा जा सकता था और सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी। अग्रेतर, डीपीआर में निर्दिष्ट पोलों की कंक्रीटिंग से सम्बन्धित उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीपीआर में सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग के कार्य को निर्दिष्ट नहीं किया गया था और इसमें मात्र विद्युत लाइनों के लिए समग्र दरें सम्मिलित थीं।

विद्युत सुरक्षा निरीक्षण शुल्क के रूप में टीकेसीज़ को अधिक भुगतान

3.3.2 टीकेसीज़ के साथ निष्पादित अनुबंधों के नियम एवं शर्तें यह नियत करते थे कि विद्युत निरीक्षण लागत अनुबंध मूल्य में सम्मिलित थी और इसका भुगतान संविदाकार द्वारा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इस प्रावधान के होते हुए भी तीन वितरण कम्पनियों[14] ने टीकेसीज़ को ₹ 9.16 करोड़[15] की विद्युत सुरक्षा निरीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात्, दो वितरण कम्पनियों (एमवीवीएनएल और पीवीवीएनएल) ने ₹ 5.79 करोड़[16] वसूल कर लिए जिसके परिणामस्वरूप टीकेसीज़ को ₹ 3.37 करोड़[17] का अधिक भुगतान हुआ।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, प्रबंधन ने जाँच के पश्चात् निरीक्षण शुल्क से सम्बन्धित किसी भी अधिक भुगतान को वसूलने पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने प्रबंधन के उत्तर को स्वीकार किया। फरवरी 2024 में प्रबंधन (एमवीवीएनएल और पीवीवीएनएल) ने कहा कि

---

[14] एमवीवीएनएल, पीवीवीएनएल और डीवीवीएनएल।

[15] एमवीवीएनएल: ₹ 5.22 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 1.43 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 2.51 करोड़।

[16] एमवीवीएनएल: ₹ 4.36 करोड़ और पीवीवीएनएल: ₹ 1.43 करोड़।

[17] एमवीवीएनएल: ₹ 0.86 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 2.51 करोड़।

क्रियान्वयन में विलम्ब से बचने के लिए टीकेसीज़ को भुगतान किया गया था। एमवीवीएनएल ने कहा कि शेष ₹ 0.86 करोड़ की वसूली प्रक्रियाधीन थी। डीवीवीएनएल के सम्बन्ध में प्रबंधन ने कहा कि निविदा दस्तावेज के क्लॉज़ 20बी में प्रावधान है कि कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनुमति लेनी होगी तथा आवश्यक शुल्क आदि का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाएगा।

डीवीवीएनएल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीवीवीएनएल और टीकेसीज़ के मध्य अनुबंध के अनुच्छेद 1.1 में स्पष्ट रूप से संशोधनों का उल्लेख किया गया था, जिसमें 7 फरवरी 2018 का संशोधन सम्मिलित था, जिसमें प्रावधान था कि विद्युत निरीक्षण लागत अनुबंध मूल्य में सम्मिलित थी और इसका भुगतान संविदाकार द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, डीवीवीएनएल द्वारा निर्गत किए गए कार्य की अधिसूचना में भी यह स्पष्ट रूप से वर्णित था कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय से आवश्यक विद्युतीय सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त करना संविदाकार का उत्तरदायित्व होगा और संविदाकार को इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

सैग/जम्परिंग के मद में टीकेसीज़ को अधिक भुगतान

3.3.3 टीकेसीज़ के साथ निष्पादित अनुबंधों की धारा VII (कार्यक्षेत्र-खण्ड-I) का क्लॉज़ 3.4.2 यह नियत करता था कि लाइनों के निर्माण में प्रयुक्त एसीएसआर कंडक्टर और एरियल बंच्ड (एबी) केबल के लिए लाइनों की मापी गई लंबाई पर सैग, जम्परिंग, क्षति, हानि, अपव्यय, आदि के मद में कोई अतिरिक्त उपभोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों द्वारा एसीएसआर कंडक्टर का उपयोग करके 11 केवी लाइनों तथा एबी केबल का उपयोग करके तीन-चरण और एकल-चरण एलटी लाइनों के निर्माण को निष्पादित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पाँच नमूना जिलों[18] में, दो वितरण कम्पनियों (पीयूवीवीएनएल और पीवीवीएनएल) ने लाइनों की स्थापित लंबाई से अधिक मात्रा में इन सामग्रियों की आपूर्ति के लिए टीकेसीज़ को कुल ₹ 1.09 करोड़[19] का अधिक भुगतान किया। इससे पता चलता है कि इन वितरण कम्पनियों द्वारा सैग, जम्परिंग, अपव्यय, आदि के लिए भुगतान किया गया था। अग्रेतर, अधिक भुगतान की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि पीयूवीवीएनएल ने एलटी और 11 केवी लाइनों के निर्माण के लिए भुगतान करने से पूर्व चार नमूना जिलों[20] में टीकेसीज़ के बिलों से सैग, जम्परिंग, अपव्यय, आदि के लिए कटौती की थी।

---

[18] पीयूवीवीएनएल - गाज़ीपुर, आज़मगढ़ और वाराणसी; तथा पीवीवीएनएल-बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर।

[19] पीयूवीवीएनएल: ₹ 0.95 करोड़ और पीवीवीएनएल: ₹ 0.14 करोड़।

[20] आज़मगढ़, वाराणसी, कौशांबी और ग़ाज़ीपुर के लिए 11 केवी लाइन तथा आज़मगढ़ और वाराणसी के लिए एलटी लाइन।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान प्रबंधन ने जाँच करने के पश्चात् सैग/जम्परिंग हेतु किए गए किसी भी अधिक भुगतान को वसूलने पर सहमति जताई। सरकार ने प्रबंधन के उत्तर को स्वीकार किया। फरवरी 2024 में प्रबंधन ने कहा कि पीयूवीवीएनएल ने टीकेसीज़ की शेष देनदारियों से अधिक भुगतान की वसूली आरम्भ कर दी है। पीवीवीएनएल के सम्बन्ध में प्रबंधन ने दावा किया कि स्थापना पर भुगतान, आपूर्तित मात्रा से सैग, जम्परिंग, अपव्यय, आदि के लिए तीन प्रतिशत की कटौती के बाद किया गया था इसलिए कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया था।

पीवीवीएनएल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा प्रेक्षण, सामग्रियों हेतु किए गए अधिक भुगतान से सम्बन्धित है, न की स्थापना अंश से।

समान प्रकृति के कार्य के क्रियान्वयन के कारण निष्फल व्यय

3.3.4 यूपीपीसीएल (दिसम्बर 2017) ने सौभाग्य योजना के अन्तर्गत विद्युत संयोजन निर्गत करने के लिए अस्थायी आधार पर कुशल जनशक्ति नियुक्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के पीछे तर्क यह था कि वितरण कम्पनियों के अधिकारी अन्य कार्यों जैसे अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन, वितरण प्रणाली का रखरखाव, राजस्व संग्रहण और चोरी रोकने में व्यस्त थे। इससे समय पर विद्युत संयोजन निर्गत करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे संभवतः भारत सरकार से मिलने वाली अतिरिक्त सब्सिडी की हानि हो सकती है। तदनुसार, यूपीपीसीएल (फरवरी 2018) ने जनशक्ति की आउटसोर्सिंग को अंतिम रूप दिया और सभी वितरण कम्पनियों को चयनित फर्मों के साथ अनुबंध निष्पादित करने का निर्देश दिया।

इन निर्देशों के अनुपालन में, सभी वितरण कम्पनियों ने चार फर्मों[21] के साथ जनशक्ति की आपूर्ति के लिए ₹ 73.47 करोड़[22] की कुल लागत पर अनुबंध निष्पादित किये (फरवरी और मार्च 2018)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों में परियोजना प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) को नियुक्त करने के सिवाय, किसी जनशक्ति की तैनाती का प्रावधान सम्मिलित नहीं था। इसके अतिरिक्त, पीएमए को सौंपे गए कार्यक्षेत्र और आउटसोर्स की गयी जनशक्ति के उत्तरदायित्वों के मध्य महत्वपूर्ण अधिव्यापनों की पहचान की गई, जैसा कि नीचे बताया गया है:

---

[21] एमवीवीएनएल: मैसर्स जी.ए. डिजिटल वेब वर्ल्ड (प्रा.) लिमिटेड, पीयूवीवीएनएल: मैसर्स टी एण्ड एम सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, पीवीवीएनएल: मैसर्स कोलाबेरा टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड और डीवीवीएनएल: मैसर्स बीवीजी इण्डिया लिमिटेड।

[22] एमवीवीएनएल: ₹ 25.71 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 22.04 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 11.02 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 14.70 करोड़।

पीएमए को सौंपा गया कार्यक्षेत्र	आउटसोर्स की गयी जनशक्ति के उत्तरदायित्व
बिल ऑफ क्वांटिटी, सामग्री और क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों का सत्यापन, अध्ययन, संशोधन और स्थिर करने का सुझाव देना (यदि कोई आवश्यक हो)।	पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों के मापन में सुविधा प्रदान करना।
तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार टर्नकी संविदाकार के कार्य का 100 प्रतिशत पर्यवेक्षण और प्रमाणन, संयुक्त माप प्रमाण पत्र के रूप में, जिस पर वितरण कम्पनियों, पीएमए और टीकेसी के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।	गाँवों और उनके मजरों के लिए तैयार अनुमोदित डीपीआर के अनुसार वितरण प्रणाली के निर्माण का समन्वय और पर्यवेक्षण करना।
निर्माता से सामग्रियों के प्रेषण-पूर्व निरीक्षण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी/टर्नकी संविदाकार और वितरण कम्पनियों के साथ समन्वय। आपूर्ति श्रृंखला का अनुश्रवण इस प्रकार करना कि कार्यस्थल पर उपयुक्त सामग्रियों की कमी न हो तथा संविदाकार/वितरण कम्पनियों द्वारा वास्तविक कार्य के अनुरूप सामग्रियों का क्रय किया जाए, जिससे कार्य सुचारू रूप से तथा समय पर पूर्ण हो सके।	भण्डार से उस स्थान तक सामग्री के अग्रिम परिवहन का अनुश्रवण और समन्वय करना, जहाँ वितरण कम्पनियों द्वारा प्रमुख सामग्रियों की आपूर्ति की जानी है।
क्षेत्र में सेवा संयोजन प्रदान करने के लिए टर्नकी संविदाकार और यूटिलिटी के क्षेत्र अधिकारियों/प्राधिकृत अधिकारियों, मुख्य अभियंता और परियोजना विभाग के साथ नजदीकी समन्वय।	गाँवों और उनके मजरों के लिए तैयार अनुमोदित डीपीआर के अनुसार वितरण प्रणाली के निर्माण का समन्वय और पर्यवेक्षण करना।

यह स्पष्ट है कि दो एजेंसियों को लगभग समान कार्यों के लिए लगाया गया था। बाद में दिसम्बर 2018 और फरवरी 2019 के मध्य वितरण कम्पनियों द्वारा जनशक्ति अनुबंधों को निरस्त कर दिया गया था। एमवीवीएनएल ने कंसल्टेंसी मद के अन्तर्गत धन की कमी को उद्धृत करते हुए सेवा समाप्ति को उचित ठहराया, क्योंकि कंसल्टेंसी शीर्ष के अन्तर्गत पीएमए प्रभार और कम्युनिकेशन व्यय जैसे अन्य मदों के लिए भी भुगतान किया जाना था।

वितरण कम्पनियों ने चार फर्मों को जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए ₹ 46.27 करोड़ का भुगतान किया। अतः, जनशक्ति एजेंसी को समान कार्य सौंपकर वितरण कम्पनियों ने ₹ 46.27 करोड़[23] का निष्फल व्यय किया।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि पीएमए और मिशन प्रबंधकों की भूमिकाएं अलग-अलग थी। पीएमए उच्चतम गुणवत्ता के साथ कार्य का उचित कार्यान्वयन और समय पर पूर्ण होना सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थे जबकि मिशन प्रबंधक शिविरों के आयोजन, ई-संयोजन के लेखाकरण, आदि के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को योजना के अन्तर्गत

[23] एमवीवीएनएल: ₹ 16.73 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 15.44 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 6.85 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 7.25 करोड़।

विद्युत संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के कार्य में लगे हुए थे। हालांकि, जब यह ज्ञात हुआ कि इन फर्मों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी, तो उनके अनुबंध निरस्त कर दिए गए। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, प्रबंधन ने कहा कि यूपीपीसीएल ने योजना के कार्यों के लिए जनशक्ति एजेंसियों को नियुक्त किया था और इन एजेंसियों पर किया गया व्यय योजना के पीएमए शीर्ष से वहन किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पीएमए का कार्यक्षेत्र सौभाग्य योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में परियोजना की अवधारणा से लेकर उसके क्रियान्वयन तक सम्पूर्ण परियोजना प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना था।

कोई भी सेवा संयोजन निर्गत किए बिना अवसंरचना का निर्माण

3.3.5 टीकेसीज़ को सौंपे गए कार्यक्षेत्र के अनुसार, एलटी या 11 केवी लाइनों के अत्यधिक निर्माण को रोकने के लिए स्थानों के उचित सर्वेक्षण के बाद ही सेवा संयोजन निर्गत किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि टीकेसीज़ ने बिना कोई सेवा संयोजन निर्गत किए 13 नमूना जिलों[24] में 2,919 मजरों[25] में ₹ 140.34 करोड़[26] मूल्य के एचटी/एलटी अवसंरचना का निर्माण किया। यह इंगित करता है कि योजना में नियत उचित सर्वेक्षण करने की आवश्यकता का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में अवसंरचना का निर्माण हुआ, जहाँ सेवा संयोजन का अनुरोध नहीं किया गया था।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि अवसंरचना का निर्माण किया गया तथा परिवारों को संयोजन लेने के लिए कहा गया, लेकिन उनकी अनिच्छा के कारण, कुछ मजरों में संयोजन प्रदान नहीं किए जा सके। उसने अग्रेतर कहा कि उस समय निर्मित अवसंरचना का उपयोग बाद में किया जा रहा था। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान प्रबंधन ने कहा कि इन मजरों में अब संयोजन निर्गत किए जा रहे थे और यह प्रक्रिया प्रगति पर है।

उत्तर यह इंगित करता है कि सर्वेक्षण प्रक्रिया में निकृष्ट नियोजन था एवं सम्यक सतर्कता का अभाव था, जो कि योजना के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत एक अनिवार्य पूर्व शर्त थी।

---

[24] कुल 16 नमूना जिलों में से, एमवीवीएनएल: लखनऊ, बलरामपुर, सुल्तानपुर, गोंडा, हरदोई और अयोध्या, पीयूवीवीएनएल: वाराणसी और आज़मगढ़, पीवीवीएनएल: बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर, तथा डीवीवीएनएल-कानपुर देहात, मैनपुरी और फिरोजाबाद।

[25] एमवीवीएनएल: 2,291 मजरों, पीयूवीवीएनएल: 366 मजरों, पीवीवीएनएल: 22 मजरों और डीवीवीएनएल: 240 मजरों।

[26] एमवीवीएनएल: ₹ 124.07 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 8.07 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 0.81 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 7.39 करोड़।

अपात्र उपभोक्ताओं को संयोजन निर्गत करना

3.3.6 सौभाग्य योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत् संयोजन प्रदान करना था। इस योजना के अन्तर्गत विद्युत् संयोजन 'घरेलू प्रकाश, पंखे और विद्युत्' श्रेणी (एलएमवी-1) के अन्तर्गत आते हैं।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत संयोजनों के आँकड़ों के साथ-साथ 16 नमूना जिलों से दिसम्बर 2022 के बिलिंग डाटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि योजना के अन्तर्गत निर्गत 13,95,892 संयोजनों में से 5,063 संयोजन[27] एलएमवी-1[28] के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित थे। ये संयोजन सौभाग्य योजना के अन्तर्गत अपात्र थे। तथापि, वितरण कम्पनियों ने इन अपात्र संयोजनों के लिए टीकेसीज़ को ₹ 1.35 करोड़[29] का भुगतान किया।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान प्रबंधन ने प्रकरण की जाँच करने के बाद वसूली आरम्भ करने पर सहमति जताई। सरकार ने प्रबंधन की प्रतिक्रिया को स्वीकार किया।

प्रबंधन ने फरवरी 2024 में कहा कि पीयूवीवीएनएल में एलएमवी-1 के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के संयोजनों को त्रुटिवश सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत के रूप में चिह्नित कर दिया गया था। शेष तीन वितरण कम्पनियों ने इस विषय को स्वीकार किया और बताया कि टीकेसीज़ से वसूली प्रक्रियाधीन है, लेकिन उन्होंने लेखापरीक्षा द्वारा चिह्नित विशिष्ट प्रकरणों के विरुद्ध वसूली का ब्यौरा नहीं दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पीयूवीवीएनएल ने परियोजना समापन के दौरान सौभाग्य योजना के अन्तर्गत ऐसे 1,338 संयोजन सम्मिलित किए थे।

स्मार्ट मीटरों के स्थान पर स्थैतिक ऊर्जा मीटरों का संस्थापन

3.3.7 सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, उपभोक्ताओं के परिसरों में राज्य की विद्यमान मीटरिंग प्रणाली के साथ संगत स्मार्ट मीटर संस्थापित किये जाने थे।

---

[27] एमवीवीएनएल: 3,021, पीयूवीवीएनएल: 1,338, पीवीवीएनएल: 198 और डीवीवीएनएल: 506।

[28] गैर-घरेलू प्रकाश, पंखा और विद्युत् के उपभोक्ता (एलएमवी-2), सार्वजनिक और निजी संस्थान के लिए प्रकाश, पंखा और विद्युत् (एलएमवी-4), सिंचाई उद्देश्य के लिए निजी ट्यूबवेल/पंपिंग सेट के लिए लघु विद्युत् (एलएमवी-5), लघु और मध्यम विद्युत् (एलएमवी-6), सार्वजनिक जल कार्य (एलएमवी-7), राजकीय ट्यूबवेल, पंचायती राज ट्यूबवेल और पंप नहरें (एलएमवी-8), अस्थायी आपूर्ति (एलएमवी-9), गैर-औद्योगिक उच्च भार (एचवी-1) तथा बड़ी और भारी विद्युत् (एचवी-2)।

[29] एमवीवीएनएल: ₹ 0.75 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 0.39 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 0.06 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 0.15 करोड़।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरण कम्पनियों ने योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ताओं के परिसरों में स्मार्ट मीटरों के स्थान पर सिंगल फेज पूर्णतया स्थैतिक ऊर्जा मीटर संस्थापित किए। स्मार्ट मीटर नहीं लगाने से, वितरण कम्पनियाँ स्मार्ट मीटर के संभावित लाभों, जैसे एटी एण्ड सी हानियों में कमी, बिलिंग दक्षता में सुधार, पीक लोड का प्रबंधन और उपभोक्ता अनुभव में वृद्धि से वंचित रह गयी।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि ग्रामीण क्षेत्र सिंगल फेज ऊर्जा मीटर के साथ संगत थे। उसने अग्रेतर स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटरों से रियल-टाइम जानकारी एकत्र करने के लिए स्काडा/डीएमएस/आईटी/ओटी कार्यान्वित करने का कोई प्रावधान नहीं था और स्मार्ट मीटरों की स्थापना को वितरण कम्पनियों की बिलिंग प्रणालियों के साथ मैप नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, योजना के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट प्रति संयोजन क्रियान्वित लागत ₹ 3,000 प्रति संयोजन निर्धारित की गई थी, जबकि स्मार्ट मीटर की लागत स्थैतिक ऊर्जा मीटर की तुलना में 2.5 से 4.0 गुना अधिक थी। सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों का प्रस्तर 8.3 भी यह निर्दिष्ट करता था कि डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत सेवा संयोजनों के लिए विद्यमान विनिर्देश सौभाग्य के अन्तर्गत भी प्रचलित रहेंगे। अग्रेतर, डीडीयूजीजेवाई योजना में स्मार्ट मीटर संस्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान सम्मिलित नहीं था। अंततः उत्तर में कहा गया कि सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विनिर्देशों के अनुसार संगत ऊर्जा मीटर संस्थापित किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीडीयूजीजेवाई योजना में मीटर-रहित उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाने का प्रावधान था, जबकि सौभाग्य योजना में स्पष्ट रूप से विद्युत् संयोजन प्रदान करते समय सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों में स्मार्ट मीटर लगाने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, वितरण कम्पनियाँ स्मार्ट मीटर की उच्च लागत के बारे में अनुश्रवण समिति या आरईसी को सूचित करने तथा संशोधित अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रही।

टीकेसीज़ को अधिक भुगतान

3.3.8 सभी वितरण कम्पनियों ने विभिन्न योजनाओं, जैसे आरजीजीवीवाई 12वीं योजना (2013-2022), डीडीयूजीजेवाई (2015-2022) और सौभाग्य (2017-2021) के क्रियान्वयन में भाग लिया। उपर्युक्त तीनों योजनाओं के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों सहित ग्रामीण परिवारों को संयोजन निर्गत किए गए थे। इसके अतिरिक्त, बिजनेस प्लान के अन्तर्गत मीटर-रहित संयोजनों पर भी मीटर लगाए गए थे तथा वितरण कम्पनियों द्वारा अपने नियमित व्यावसायिक परिचालन के रूप में संयोजन निर्गत किए गए थे।

नमूना जिलों में सौभाग्य योजना के निर्गत संयोजन डाटा की जाँच और उक्त डाटा का आरजीजीवीवाई 12वीं प्लान योजना, डीडीयूजीजेवाई योजना

(मीटर-रहित संयोजनों पर मीटर लगाना) और बिजनेस प्लान के अन्तर्गत मीटरों की संस्थापना के साथ प्रतिपृच्छा के दौरान, लेखापरीक्षा ने सौभाग्य योजना के अन्तर्गत टीकेसीज़ द्वारा निर्गत और दावा किए गए संयोजनों में दोहराव देखा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.65 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(अ) समान संयोजनों के लिए दोहरे दावे और भुगतान

टीकेसीज़ द्वारा 16 नमूना जिलों में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत और दावा किए गए संयोजनों के विश्लेषण से पता चला कि एमवीवीएनएल में, टीकेसीज़ ने समान नाम, पिता के नाम और पते के साथ 5,334 संयोजनों के लिए दोहरे दावे प्रस्तुत किये। इसी तरह, पीयूवीवीएनएल, पीवीवीएनएल और डीवीवीएनएल में, टीकेसीज़ ने एक ही खाता संख्या के साथ 2,736 संयोजनों[30] के लिए दोहरे दावे प्रस्तुत किए। वितरण कम्पनियों ने इन दोहरे दावों के लिए टीकेसीज़ को ₹ 2.14 करोड़[31] का भुगतान किया।

(ब) डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत पहले ही निर्गत संयोजनों के लिए दावे और भुगतान

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये नए संयोजनों और 16 नमूना जिलों में डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत मीटर-रहित संयोजनों पर मीटर लगाने के विश्लेषण से पता चला कि टीकेसीज़ ने 26,059 संयोजनों[32] के लिए सौभाग्य योजना के अन्तर्गत दावे प्रस्तुत किए थे, जहाँ डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत मीटर पहले ही लगाए जा चुके थे। वितरण कम्पनियों ने इन दावों के लिए टीकेसीज़ को ₹ 7.09 करोड़[33] का भुगतान किया ।

(स) आरजीजीवीवाई 12वीं प्लान योजना के अन्तर्गत पहले ही निर्गत संयोजनों के लिए दावे और भुगतान

सोलह नमूना जिलों में से तीन वितरण कम्पनियों (एमवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल और डीवीवीएनएल) के 14 जिलों[34] में आरजीजीवीवाई 12वीं प्लान योजना और सौभाग्य योजना के संयोजन डाटा का विश्लेषण मीटर संख्या, नाम और खाता संख्या का उपयोग करके किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि टीकेसीज़ ने 9,037 बीपीएल संयोजनों[35] के लिए सौभाग्य योजना के

---

[30] पीयूवीवीएनएल: 2,100, पीवीवीएनएल: 619, और डीवीवीएनएल: 17।

[31] एमवीवीएनएल: ₹ 1.33 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 0.63 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 0.18 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 0.001 करोड़।

[32] एमवीवीएनएल: 12,897, पीयूवीवीएनएल: 12,475, पीवीवीएनएल: 353 और डीवीवीएनएल: 334।

[33] एमवीवीएनएल: ₹ 3.24 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 3.65 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 0.10 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 0.10 करोड़।

[34] पीवीवीएनएल के दो जिलों अर्थात् बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में 12वीं प्लान के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया।

[35] एमवीवीएनएल: 1,588, पीयूवीवीएनएल: 3,903 और डीवीवीएनएल: 3,546।

अन्तर्गत दावे प्रस्तुत किये थे जो आरजीजीवीवाई 12वीं प्लान योजना के अन्तर्गत पहले ही निर्गत किए जा चुके थे। वितरण कम्पनियों ने इन दावों के लिए टीकेसीज़ को ₹ 2.62 करोड़[36] का भुगतान किया।

(द) बिजनेस प्लान के अन्तर्गत पहले से संस्थापित मीटरों के लिए दावे और भुगतान

बिजनेस प्लान और सौभाग्य योजना के अन्तर्गत मीटर-युक्त किये गये मीटर-रहित उपभोक्ताओं के खाता संख्या के विश्लेषण से पता चला कि टीकेसीज़ ने सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 35,623 संयोजनों[37] के लिए दावे प्रस्तुत किये, जबकि ये संयोजन पहले ही बिजनेस प्लान के अन्तर्गत मीटर-युक्त किये जा चुके थे। वितरण कम्पनियों ने इन दावों के लिए टीकेसीज़ को ₹ 9.67 करोड़[38] का भुगतान किया।

(य) योजना के आरम्भ से पूर्व निर्गत किए गए संयोजनों के लिए दावे और भुगतान

सौभाग्य योजना 11 अक्टूबर 2017 को आरम्भ की गई थी तथा टीकेसीज़ की नियुक्ति मार्च 2018 और मई 2018 के मध्य की गई थी।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत संयोजनों के आँकड़ों के साथ 16 नमूना जिलों के दिसम्बर 2022 के बिलिंग डाटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण[39] से पता चला कि 2,424 उपभोक्ताओं[40] को संयोजन योजना की आरम्भ तिथि[41] से पहले निर्गत कर दिए गए थे। इससे पता चलता है कि ये संयोजन टीकेसीज़ द्वारा निर्गत नहीं किए गए थे। तथापि, टीकेसीज़ ने इन संयोजनों के लिए ₹ 71.51 लाख[42] के भुगतान का दावा किया, जिसका भुगतान वितरण कम्पनियों द्वारा किया गया और बाद में आरईसी को प्रस्तुत समापन प्रतिवेदन में दावा किया गया।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, यूपीपीसीएल ने वितरण कम्पनियों को विभिन्न योजनाओं में दोहरे संयोजनों की जाँच करने और अमान्य धनराशि की वसूली तथा अंतिम डाटा/दस्तावेज साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रदान करने का निर्देश दिया। सरकार ने प्रबंधन की कार्रवाई को स्वीकार किया।

---

[36] एमवीवीएनएल: ₹ 0.38 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 1.18 करोड़ और डीवीवीएनएल: ₹ 1.06 करोड़।

[37] एमवीवीएनएल: 19,396 और पीयूवीवीएनएल: 16,227।

[38] एमवीवीएनएल: ₹ 4.98 करोड़ और पीयूवीवीएनएल: ₹ 4.69 करोड़।

[39] टीकेसीज़ द्वारा निर्गत उपभोक्ता संयोजन डाटा का मिलान वितरण कम्पनियों के बिलिंग डाटा के साथ किया गया।

[40] एमवीवीएनएल: 14, पीयूवीवीएनएल: 391, पीवीवीएनएल: 703 और डीवीवीएनएल: 1,316

[41] प्रस्तर संख्या 3.3.8 (ब), (स), और (द) के अन्तर्गत आच्छादित डीडीयूजीजेवाई, आरजीजीवीवाई 12वीं प्लान और बिजनेस प्लान के अन्तर्गत निर्गत संयोजनों को छोड़कर।

[42] एमवीवीएनएल: ₹ 0.32 लाख, पीयूवीवीएनएल: ₹ 11.55 लाख, पीवीवीएनएल: ₹ 20.16 लाख, और डीवीवीएनएल: ₹ 39.48 लाख।

तत्पश्चात्, फरवरी 2024 में, प्रबंधन ने कहा कि एमवीवीएनएल में 28,314 दोहरे/अनियमित संयोजनों के लिए टीकेसीज़ से ₹ 6.53 करोड़ की वसूली की जाएगी। पीयूवीवीएनएल में 35,837 दोहरे संयोजनों की पहचान की गई है और ₹ 8.66 करोड़ की शास्ति आरोपित की गई है, जिसमें से ₹ 4.54 करोड़ की वसूली कर ली गई है। शेष धनराशि टीकेसीज़ के शेष बकाया से वसूल की जाएगी। पीवीवीएनएल में दोहरे और गैर-लेजरकृत संयोजनों के लिए वसूली की जा चुकी है/प्रगति पर है। डीवीवीएनएल में, सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कोई दोहरा संयोजन नहीं पाया गया, परन्तु सौभाग्य-डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य-12वीं प्लान योजनाओं में क्रमशः 289 और 1,714 दोहरे संयोजन पाये गये, जिसके लिये टीकेसीज़ से वसूली की जायेगी। डीवीवीएनएल ने यह भी दावा किया कि सौभाग्य के अन्तर्गत किसी भी उपभोक्ता की संयोजन निर्गत तिथि 10 अक्टूबर 2017 से पहले की नहीं थी।

लेखापरीक्षा यह स्वीकार करता है कि वितरण कम्पनियों ने दोहरे संयोजनों की पहचान करने तथा टीकेसीज़ से धनराशि वसूलने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। डीवीवीएनएल के उत्तर के सम्बन्ध में, कि सौभाग्य के अन्तर्गत किसी भी उपभोक्ता की संयोजन निर्गत तिथि 10 अक्टूबर 2017 से पहले की नहीं थी, लेखापरीक्षा के विश्लेषण से पता चला कि डीवीवीएनएल से संबद्ध 1,316 संयोजन वास्तव में योजना की आरंभ तिथि से पहले निर्गत किए गए थे।

दोहरे एसपीवी संयोजनों के लिए टीकेसीज़ को अधिक भुगतान

3.3.9 सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सुदूर और दुर्गम गाँवों/मजरों, जहाँ ग्रिड विस्तार व्यावहारिक या लागत प्रभावी नहीं था, के गैर-विद्युतीकृत परिवारों के लिए सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) आधारित एकल प्रणाली प्रदान किया जाना था। योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों ने 53,234 एसपीवी[43] संयोजन संस्थापित किये।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि एमवीवीएनएल में 672 एसपीवी संयोजन और डीवीवीएनएल में 32 एसपीवी संयोजन मतदाता पहचान पत्र/आधार संख्या के आधार पर दोहरे थे। पीयूवीवीएनएल में नाम, पिता का नाम और अन्य फ़ील्डों के आधार पर 232 संयोजन दोहरे थे। वितरण कम्पनियों ने इन दोहरे संयोजनों के लिए टीकेसीज़ को ₹ 4.41 करोड़[44] का भुगतान किया।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (दिसम्बर 2023) कि पीयूवीवीएनएल और एमवीवीएनएल में एक ही नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर वाले उपभोक्ताओं को, नोडल संस्था, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

---

[43] एमवीवीएनएल: 16,511; पीयूवीवीएनएल: 33,072; पीवीवीएनएल: 1,065; और डीवीवीएनएल: 2,586।

[44] 936 संयोजन x ₹ 47,129 प्रति संयोजन।

विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को भुगतान करने से पूर्व, भौतिक रूप से सत्यापित किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दोहरे ऑफ-ग्रिड संयोजनों के लिए कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। डीवीवीएनएल के कुछ जिलों में उपभोक्ताओं की यूआईडी तो एक जैसी पाई गई, परन्तु नाम, पिता का नाम और सोलर पैनल नंबर भिन्न थे। इस प्रकार, उपभोक्ता भिन्न थे और कोई दोहरे संयोजन निर्गत नहीं किये गये थे।

पीयूवीवीएनएल और एमवीवीएनएल के प्रकरण में उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दोहरे संयोजनों के लिए भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, मसौदा रिपोर्ट (अप्रैल 2023) निर्गत होने की तिथि से 19 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी, वितरण कम्पनियों (पीयूवीवीएनएल और एमवीवीएनएल) ने नवम्बर 2024 तक समीक्षा और समाधान प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। अग्रेतर, डीवीवीएनएल के प्रकरण में उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि दो अलग-अलग उपभोक्ताओं के पास एक ही यूआईडी नहीं हो सकती है।

संस्तुति 3:

वितरण कम्पनियाँ, टीकेसीज़ के कार्य के अनुश्रवण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित कर सकतीं हैं, जिससे दोहरे संयोजनों की पहचान की जा सके और टीकेसीज़ को अधिक भुगतान रोका जा सके।

टीकेसीज़ के पास पड़ी विभागीय रूप से निर्गत सामग्री की लागत नहीं वसूली गयी

3.3.10 टीकेसीज़ के साथ निष्पादित अनुबंधों के अनुसार, टीकेसीज़ को अपने सम्बन्धित पैकेज के अन्तर्गत उपकरण/सामग्रियों को प्राप्त करने के दो माह के अन्दर भुगतान और सामग्री के लेखों को मिलान हेतु जमा करना आवश्यक था। ऐसा नहीं करने पर, परियोजना प्रबंधकों द्वारा निर्धारित, अलेखांकित सामग्रियों की लागत के लिए संविदाकारों के बकाया बिलों से आवश्यक वसूली की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीयूवीवीएनएल में, चार टीकेसीज़[45] ने पाँच जिलों में ₹ 68.98 लाख मूल्य की विभागीय सामग्री योजना के पूर्ण होने के पश्चात् भी वापस नहीं की थी। पीयूवीवीएनएल द्वारा ऐसे टीकेसीज़ के विरुद्ध सितम्बर 2022 और अगस्त 2023 के बीच संशोधित शास्ति आदेश निर्गत किए गए थे। इसके अतिरिक्त, डीवीवीएनएल ने छः जिलों[46] में टीकेसीज़ को निर्गत विभागीय सामग्री के सापेक्ष ₹ 16.30 लाख वसूल नहीं किये थे (मार्च 2023 तक)।

---

[45] एल एण्ड टी लिमिटेड, टीएजी सिस्टम, जैक्सन प्राइवेट लिमिटेड, और बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड।

[46] चित्रकूट, बांदा, महोबा, और हमीरपुर (टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड): ₹ 13.42 लाख; तथा आगरा और मथुरा (एनसीसी लिमिटेड): ₹ 2.88 लाख।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (दिसम्बर 2023) कि डीवीवीएनएल में, सौभाग्य योजना के अन्तर्गत प्रत्येक टीकेसीज़ के साथ सामग्री मिलान किया गया था और टीकेसीज़ के बिलों से ₹ 21 करोड़ की आवश्यक कटौती की गई थी। टीकेसीज़ की लंबित देनदारियों से ₹ 16.30 लाख की शेष धनराशि की कटौती की जा रही है।

पीयूवीवीएनएल के प्रबंधन ने सूचित किया (नवम्बर 2024) कि सामग्री जिसका मिलान नहीं हो सका, हेतु ₹ 68.98 लाख की वसूली के लिए टीकेसीज़ को संशोधित कार्यालय ज्ञापन निर्गत किए गए थे और वसूली प्रक्रियाधीन है।

अनिच्छुक परिवारों का डाटा नहीं रखा गया

3.3.11 सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 8.6 के अनुसार यूटिलिटीज़ को, योजना के अन्तर्गत निःशुल्क विद्युत संयोजन लेने के लिए अनिच्छुक गैर-विद्युतीकृत परिवारों का डाटा रखना आवश्यक था, जिसमें परिवारों की उचित पहचान और सम्बन्धित परिवारों द्वारा उद्धृत कारण सम्मिलित हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निःशुल्क विद्युत संयोजन लेने के लिए अनिच्छुक गैर-विद्युतीकृत परिवारों का विवरण, किसी भी वितरण कम्पनी द्वारा नहीं रखा गया था। फलस्वरूप, योजना के समापन पर राज्य में गैर-विद्युतीकृत परिवारों की स्थिति सुनिश्चित करना संभव नहीं था।

अपने उत्तर में सरकार ने कहा (दिसम्बर 2023) कि सर्वेक्षण के दौरान जो गैर-विद्युतीकृत उपभोक्ता प्रारम्भ में निःशुल्क संयोजन लेने के लिए इच्छुक थे, उन्होंने बाद में क्रियान्वयन के समय संयोजन लेने से मना कर दिया। ऐसे उपभोक्ताओं की संयोजन लेने की इच्छा समय के साथ बदलती रही। इसलिए, निःशुल्क विद्युत संयोजन का लाभ लेने के अनिच्छुक गैर-विद्युतीकृत परिवारों का डाटा नहीं रखा जा सका। सरकार ने आगे कहा कि ऐसा डाटा अवास्तविक या अप्रासंगिक होता और भविष्य की घरेलू विद्युतीकरण योजनाओं के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि गैर-विद्युतीकृत परिवारों की संख्या परिवर्तनीय है। किसी भी योजना को आरम्भ करने से पूर्व वास्तविक डाटा प्राप्त करने के लिए एक नए सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, प्रबंधन ने कहा कि अनिच्छुक परिवारों का डाटा नहीं रखा गया था क्योंकि यह बार-बार बदलता रहता था और इसलिए उपयोगी नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि योजना के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से उन गैर-विद्युतीकृत परिवारों, जो निःशुल्क विद्युत संयोजन का लाभ लेने के लिए अनिच्छुक थे, के डाटा को, ऐसे परिवारों द्वारा उद्धृत कारणों सहित रखने की आवश्यकता थी।

अपर्याप्त एसएलएससी बैठकें

3.3.12 उ.प्र. सरकार ने आरजीजीवीवाई योजना के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान प्रगति की समीक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए अक्टूबर 2013 में एसएलएससी का गठन किया था, जिसमें एसएलएससी के लिए माह में कम से कम एक बार बैठक करना आवश्यक था। फरवरी 2015 में, उ.प्र. सरकार ने एसएलएससी की भूमिका का विस्तार करते हुए उसमें डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत कार्यों को सम्मिलित कर दिया। अग्रेतर, सौभाग्य योजना के लिए भी यही अनुश्रवण क्रियाविधि अपनायी जानी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान मात्र 12 एसएलएससी बैठकें आयोजित की गईं, जो आवश्यक 86 बैठकों, जिन्हें फरवरी 2015 से मार्च 2022 तक मासिक रूप से आयोजित किया जाना था, से बहुत कम थीं।

सरकार ने अपने उत्तर में प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2023) कि बैठकों की कम संख्या विभिन्न प्रशासनिक कारणों से थी, जिसमें मुख्य सचिव की अनुपलब्धता भी सम्मिलित थी, जो एसएलएससी की अध्यक्षता करते हैं और कई अन्य ऐसी समितियों के अध्यक्ष हैं।

अपर्याप्त दिशा बैठकें

3.3.13 डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिशा को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में दिशा की आवश्यक 2,100 बैठकों के सापेक्ष मात्र 581 बैठकें (27.67 प्रतिशत) ही आयोजित की गईं थीं। परिणामस्वरूप, दिशा नियमित अंतराल पर योजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण नहीं कर सकी।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि दिशा के अध्यक्ष सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों के सांसद या सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी थे। अन्य सदस्यों में विधानसभा के सदस्य (एमएलए) और जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग सहित सरकारी विभागों के अधिकारी सम्मिलित थे। सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण बैठकें प्रभावित हुईं। कोविड-19 महामारी ने भी बैठकों को प्रभावित किया।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दिशा के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी सदस्यों को नामित न किए जाने पर भी बैठकें आयोजित की जा सकतीं थीं। नामित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सह-अध्यक्ष (यदि कोई हो) बैठक की अध्यक्षता कर सकता था। यदि न तो अध्यक्ष और न ही सह-अध्यक्ष उपस्थित हों, तो उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने मध्य से एक अध्यक्ष का चुनाव कर सकते थे।

संस्तुति 4:

उ.प्र. सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि एसएलएससी और दिशा की बैठकें मानदण्डों के अनुसार आयोजित की जाएं, ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

निष्कर्ष

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के कार्यान्वयन ने नियोजन और क्रियान्वयन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कमियाँ अनुभव की। दोनों योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत और क्रियान्वित मात्राओं के मध्य अत्यधिक भिन्नताएँ थी। कार्यक्षेत्र के प्रावधानों के विपरीत कार्य किए गए, जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय हुआ। कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण का उद्देश्य बड़े पैमाने पर अप्राप्त था। योजना दिशानिर्देशों और अनुबंधों के प्रावधानों का पालन करने में वितरण कम्पनियों की विफलता के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय और संविदाकारों को अधिक भुगतान हुआ। स्मार्ट मीटर के स्थान पर स्थैतिक मीटर लगाने से योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ। कई मजरों में समरूप सेवा संयोजन के बिना अवसंरचना का निर्माण, निकृष्ट नियोजन और क्रियान्वयन प्रथाओं को प्रतिबिम्बित करता है। दोहरे दावों और भुगतानों के कई दृष्टांत सत्यापन और भुगतान प्रणालियों में गंभीर कमजोरियों को उजागर करते हैं। एसएलएससी और दिशा बैठकों की अपर्याप्त संख्या ने नियमित अनुश्रवण और निरीक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। ये कमियों न केवल बहुत अधिक वित्तीय निहितार्थों का कारण बनी, अपितु इन्होंने योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति को भी प्रभावित किया।